

### जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

मऊ। आज दिनांक 02.10.19 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर लाखीपुर मोड से मु0अ0सं0 383/19 धारा 147,148,304 भादवि में वांछित अभियुक्तगण बृजेश कुमार पुत्र बिन्देश्वरी निवासी लाखीपुर, दिनेश यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी तिलई खुर्द थाना घोसी व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा गुलौरी से मु0अ0सं0 199/19 धारा 147,323,504,506,325,308 भादवि में वांछित अभियुक्तगण राधे यादव पुत्र हरिद्वार यादव, शिबलू यादव पुत्र राधे यादव निवासीगण गुलौरी थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चलान न्यायालय किया गया।

### शांति भंग की आशंका में 06 व्यक्ति व 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 02.10.19 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा राजेन्द्र राम पुत्र सुमेर, अच्छेलाल पुत्र हीरालाल निवासीगण इटौरा थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा बृजेश सोनकर पुत्र पतिराम, दुर्ग विजय पुत्र बलदेव निवासीगण दुबारी थाना मधुबन, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा राकेश पुत्र गनेश निवासी बरपुर थाना सरायलखन्सी, घूरा पुत्र सूर्यनाथ निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी व थाना घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण राकेश यादव पुत्र चन्द्रदेव यादव निवासी विक्कमपुर, उखमाजी हरिजन पुत्र लौहर निवासी भेलऊर चंगेरी, बृजेश कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी बोझी थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चलान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता 'महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थानों पर महात्मा गाँधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण किया तथा स्वच्छता व सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता की शपथ दिलाई गई तथा उनके आदर्शों पर चलने के बारे में बताया गया।

आज दिनांक को 02.10.19 को जिला कारागार मऊ में औद्योगिक केन्द्र "अगरबत्ती निर्माण इकाई" का लोकार्पण जिलाधिकारी मऊ श्री ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा किया गया। जिसमें कारागार में निरूद्ध बन्दियों को अपराध से विरत करने और उन तक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार के अवसर व विकल्पों को पहचानने के उद्देश्य से कौशल विकास, स्वरोजगार प्रशिक्षण व उद्यमिता विकास, लघु उद्योग स्थापन आदि कार्ययोजनओं से अवगत कराया गया, जो निम्नवत् है—

1. अगरबत्ती निर्माण इकाई।
2. वुडेन पत्तल—दोना—गिलास(गैर प्लास्टिक) निर्माण इकाई।
3. औषधीय वाटिका(पौधशाला) विक्रय इकाई।
4. जाँत का आँटा।
5. हैन्ड लुम इकाई(हथकरघा) जुट बैग।
6. काष्ठ कला उद्योग इकाई।
7. मसाला कुटाई पिसाई एवं पैकिंग इकाई।
8. सरसों तेल पेराई(मशीन) इकाई।

उक्त कार्ययोजनओं का यह प्रयास है कि कारागार में स्थाई औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जाये जिससे भविष्य में सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वरोजगार एवं व्यवसाय परक प्रशिक्षण व वित्तीय योजनाओं के लाभ से कारागार में निरूद्ध बन्दियों को एकीकृत किया जाये अर्थात् कोई बन्दी सरकार द्वारा संचालित स्वावलम्बन योजनाओं की पात्रता से वंचित न रहे।

